


मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
ऑनलाईन ई-प्रवेश संशोधित समय-सारिणी : सत्र : 2020-21
(epravesh.mponline.gov.in)

(परिशिष्ट - 3)

क्र.	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)	
		दिनांकसे	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
प्रथम चरण					
1.	(अ) ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना।	05-08-2020	24-08-2020	13-08-2020	31-08-2020
	(ब) आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से कराना।	05-08-2020	27-08-2020	13-08-2020	03-09-2020
2.	(अ) प्रथम चरण के सीट-आवंटन-पत्र जारी करना।	03-09-2020		10-09-2020	
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाइन शुल्क भुगतान का भुगतान करना। भुगतान किए गए आवेदनों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा।	03-09-2020	08-09-2020	10-09-2020	15-09-2020
	(स) ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	05-08-2020	08-09-2020	13-08-2020	15-09-2020
सी.एल.सी.प्रथमचरण					
3.	महाविद्यालयों में प्रथम चरण के पश्चात् (CLC चरण हेतु) रिक्त रहें गये स्थानों का महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार/आरक्षण वर्गवार कट-आफ की पोर्टल पर जानकारी।	10-09-2020		17-09-2020	
4.	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना।	10-09-2020	16-09-2020	17-09-2020	23-09-2020
	(ब) आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से कराना।	10-09-2020	19-09-2020	17-09-2020	26-09-2020
5.	(अ) महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी.चरण की मेरिट सूची जारी करना।	24-09-2020		30-09-2020	
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डीजिटली ऑनलाईन शुल्क का भुगतान करना।	24-09-2020	29-09-2020	30-09-2020	05-10-2020
	(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना।	10-09-2020	29-09-2020	17-09-2020	05-10-2020
सी.एल.सी. द्वितीय चरण					
6.	(अ) आरक्षित सीटों का अनारक्षित सीटों में परिवर्तन-उपरोक्त कडिका 5 ब के सम्मुख उल्लेखित दिनाकों तक आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों को अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित करने की तकनीकी प्रक्रिया।	01-10-2020		07-10-2020	
	(ब) सी.एल.सी. प्रथम चरण में दिये गये विकल्प के आधार पर ऑनलाइन मेरिट सूची अनुसार आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डीजिटली ऑनलाईन शुल्क का भुगतान करना।	01-10-2020	07-10-2020	07-10-2020	12-10-2020
	(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना।	01-10-2020	07-10-2020	07-10-2020	12-10-2020

- ❖ उपरोक्त समय सारणी अनुसार स्कूल शिक्षाविभाग (प्रायमरी/मिडिल स्कूल) में कार्यरत शिक्षक केवल शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वन-स्टेप-अप योजनातर्गत पंजीयन तथा सत्यापन कराकर विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।
- ❖ ई-प्रवेश प्रक्रिया के सभी चरणों में सीट आवंटन जारी होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय के निर्धारित शुल्क की आधी राशि का भुगतान ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश शुल्क की शेष राशि जमा करने एवं प्रवेश संबंधी अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र आरंभ होने पर पृथक से निर्देश जारी किए जायेंगे।


 25/8/20